



उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद  
सम्पत्ति प्रबन्ध कार्यालय  
प्रथम तल आफिस काम्पलेक्स सेक्टर-9  
वृन्दावन योजना लखनऊ।



पत्रांक

/सं0प्र0 वृन्दावन/

दिनांक

### कार्यालय आदेश

परिषद की वृन्दावन योजना, सेक्टर-20, लखनऊ स्थित गोवर्धन एन्क्लेव में श्री अनुज कुमार सिंह व शिवानी सिंह को पंजीकरण चालान सं0 7001721 के विरुद्ध 2BHK Type-B का फ्लैट संख्या 20/D-2/1204 आवंटित होने के फलस्वरूप इस कार्यालय के मांग पत्र संख्या-1672 दिनांक 27.01.2016 द्वारा मांग-पत्र निर्गत है। आवंटी ने अपने पत्र दिनांक 11.08.2021 द्वारा कार्यालय को सूचित किया है कि वे फ्लैट लेने के इच्छुक नहीं हैं। अतः आवेदक के अनुरोध पर परिषद द्वारा पंजीकरण/आवंटन निरस्त किया जाता है। जमा एवं कटौती किये जाने वाली धनराशि का विवरण इस प्रकार है :-

#### जमा धनराशि:-

1.	जमा पंजीकरण धनराशि	रु0	60000.00
2.	किशतों के रूप में जमा धनराशि	रु0	11,76000.00
	<b>कुल जमा धनराशि</b>	<b>रु0</b>	<b>1236000.00</b>

#### कटौती की जाने वाली धनराशि:-

1.	देय पंजीकरण धनराशि रु0 60000.00	
	में से 50 प्रतिशत की कटौती योग्य धनराशि	रु0 30000.00

अतः कुल जमा धनराशि रु0 **1236000.00** में से परिषद नियमानुसार 30000.00 की कटौती करते हुए आवंटन/पंजीकरण निरस्त करते हुए शेष धनराशि रु0 **1206000.00** (रुपया बारह लाख छः हजार मात्र) बिना ब्याज वापस किये जाने के एतद्वारा आदेश दिये जाते हैं।

(नृपेन्द्र बहादुर सिंह)  
सम्पत्ति प्रबन्धक

पृष्ठ सं0 / उक्त / तददिनांक  
प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सहायक लेखाधिकारी (रिफण्ड) सम्पत्ति प्रबन्धक कार्यालय, वृन्दावन, लखनऊ को रिफण्ड वाउचर रिफण्ड हेतु प्रेषित।

2. ANUJ KUMAR SINGH AND SHIVANI SINGH, VILLAGE- RAWATPUR KALAN, POST NIBI VIA SARENI DISSTT RAIBARELI, 229212

सम्पत्ति प्रबन्धक